राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
218/2012	लीलादास / किशोरसिंह 1	
20/4/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय- अपीलांट उपस्थित। पत्रावली में अधिवक्ता अपीलांट की बहस पुनः समायत की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.04.18 को पेश हो।	
30.04.18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28/5/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक एवं तकासमा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि साबिका खसरा नम्बर 758 रकबा 21 बीघा वाके ग्राम भैसलाना तहसील कोटपूतली जिसके हाल ख.न. 1233 रकबा 1 हैक्टयर, 1234 रकबा 0.62 है०, 1235 रकबा 0.01 है०, 1236 रकबा 0.94 है०, 1290 रकबा 0.42 है०, 1293 रकबा 0.51 है०, 1294 रकबा 0.44 है०, 1295 रकबा 0.42 है०, 1305 रकबा 0.33 है०, 1306 रकबा 0.28 है०, 1305/2030 रकबा 0.63 है०, 1233/2037 रकबा 0.12 है० कायम हुये। वाद में यह अंकित किया कि साबिका खसरा नम्बर 758 बिस्वेदारी की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से वादी के बुजुर्ग सेडूदास पुत्र गोपालदास 1/2 हिस्से पर बहैसियत	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लीलादास / किशोरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
218/2012		2

काश्तकार काबिज होकर काश्त करते थे एवं बिस्वेदारी, जमीदारी अब्युलेशन एक्ट के लागू हुआ तब भी 1/2 हिस्से पर वादी के बुजुर्ग काश्त करते थे एवं उनके मरने के पश्चात वादी 1/2 हिस्से पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को कानूनन हक खातेदारी हासिल हो चुके है। वादी के पिता ने दिनांक 19/7/58 को एक बेचान पत्र रिधपाल सिंह बिस्वेदार के करवाया जबकी वास्तव में कब्जा वादी के पिता का पहले से ही 1/2 हिस्से पर था। वाद में यह भी अंकित किया गया कि सेटलमेन्ट बिभाग द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 के नाम रिकार्ड लगा देने से उनकी नियत मे बेईमानी आ गई एवं तब वादी के कब्जे मे मजाहमत करने लगे है। प्रतिवादी सख्या 6 लगायत 11 वादी के कब्जे में मजाहमत नही करते है पर 1/2 हिस्से के सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद मे प्रश्नगत आराजी के संदर्भ मे 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 को वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नही करने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की। वाद में प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ, जिसमे वादी के वाद को नकारते हुये यह अंकित किया गया कि दिनांक 26/12/75 को प्रश्नगत

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लीलादास / किशोरसिंह

तारीख हुक्म	218/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दानसिंह व गोकुल सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर बतौर खातेदार काबिज है। जवाब दावे में यह भी अंकित किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के द्वारा 2 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 जो कि यह थी कि "आया साबिका ख.न. 758 वाके ग्राम भैसलाना पर 1/2 हिस्से पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तथा बिस्वेदारी जागीरदारी उन्मुलन एक्ट लागू हुआ तब वादी का पिता सेढुदास काश्तकार की हैसियत से काबिज रहा तथा सेढु के बाद उक्त आराजी 1/2 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है तथा कानूनन उसे हक खातेदारी हासिल हुये है।" के संदर्भ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेरे अपील मे अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 प्रदर्श 5 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2018 प्रदर्श-4 व गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2019 प्रदर्श 6 व 7 प्रस्तुत की है, प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त आराजी मे सेढुदास पुत्र गोपालदास सम्वत् 2018 की जमाबन्दी प्रदर्श-4 मे 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज था एवं सम्वत् 2030 से 2033 प्रदर्श 5 मे लीला पुत्र गोपाल	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लीलादास / किशोरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/2012 — 4	

वादी रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर काबिज है एवं प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 में वादी के पिता सेदुदास की 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काश्त दर्ज है इस प्रकार साबिका रिकार्ड से यह जाहिर है कि वादी उपरोक्त आराजी पर 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काश्त कर रहा है एवं स्वयं वादी लीलादास जिरह के दौरान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 2 बीघा जमीन पर काबिज रहने का तथ्य स्वीकार करता है, इस प्रकार वादी उपरोक्त तनकी साबित करने मे कि उपरोक्त आराजी पर वादी काबिज है, साबित करने मे असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात मे तनकी न० 2 मुख्य तनकी थी, जिसके संदर्भ मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के पश्चात यह तो सिद्ध था कि वादी/अपीलान्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के पूर्व से प्रश्नगत आराजी के 7 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर अधिनस्थ न्यायालय के अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु यह अंकित करने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध तय की गई। तनकी संख्या 4 मे यह अंकित करते हुये कि विक्रय-पत्र प्रदर्श-12 जिसमे प्रतिवादी द्वारा रिछपाल सिंह के हिस्से की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	218/2012 लीलादास / किशोरसिंह — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5	

को क्रय करना जाहिर होता है एवं मुताबिक विक्रय पत्र वादी का नाम रिकार्ड मे दर्ज हो चुका है एवं उपरोक्त आराजी मे 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा गिरदावरी से साबित होता है एवं वर्तमान रिकार्ड में वादी का 7 बीघा 10 बिस्वा पर नाम दर्ज है ऐसी सूरत मे वादी 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि से अधिक भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है। तनकी संख्या 5 मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति एवं हाल जमाबन्दी एवं पर्चा खतौनी से यह बखूबी साबित है कि उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 5 2 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है। यह अंकित करते हुये कि प्रतिवादी 2 बीघा भूमि को खरीद कर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, तनकी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष मे तय कर दिया गया।

विचाराधीन प्रकरण मे यद्यपि अपीलार्थी द्वारा बहस की गई है किन्तु उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि तनकी संख्या 2 के निस्तारण मे वादी / अपीलांट्स का

प्रश्नगत आराजी के 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के पूर्व से काबिज होना तय किया गया है एवं तनकी संख्या 3 व 5 मे प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 5 द्वारा मात्र 2 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया जाना तय किया गया है जबकी प्रश्नगत आराजी का कुल रकबा 21 बीघा का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 के निस्तारण में वादी का प्रश्नगत आराजी के 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज होने से उससे अधिक पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होना अंकित किया गया है।

उपरोक्त सभी तथ्यो से स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के कब्जे काश्त के सम्बन्ध मे प्रश्नगत आराजी के रकबे को तय किया जाना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी वाद सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में खारिज कर दिया गया जबकी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस का प्रश्नगत आराजी मे से मात्र 2 बीघा आराजी पर हक होना तय

किया जाना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में खारिज कर दिया गया जबकी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का प्रश्नगत आराजी मे से भाग 2 बीघा आराजी पर हक होना तय किया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्पुर्ण निर्णय विरोधाभासी होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28/5/2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत का विवेचन करते हुये वादी/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद का विस्तृत विवेचन के आधार पर निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.18 को लिखाया जाकर ~~खुले~~ न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)